MAKE IN INDIA

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
www.mca.gov.in

कंपनियों का निगमीकरण

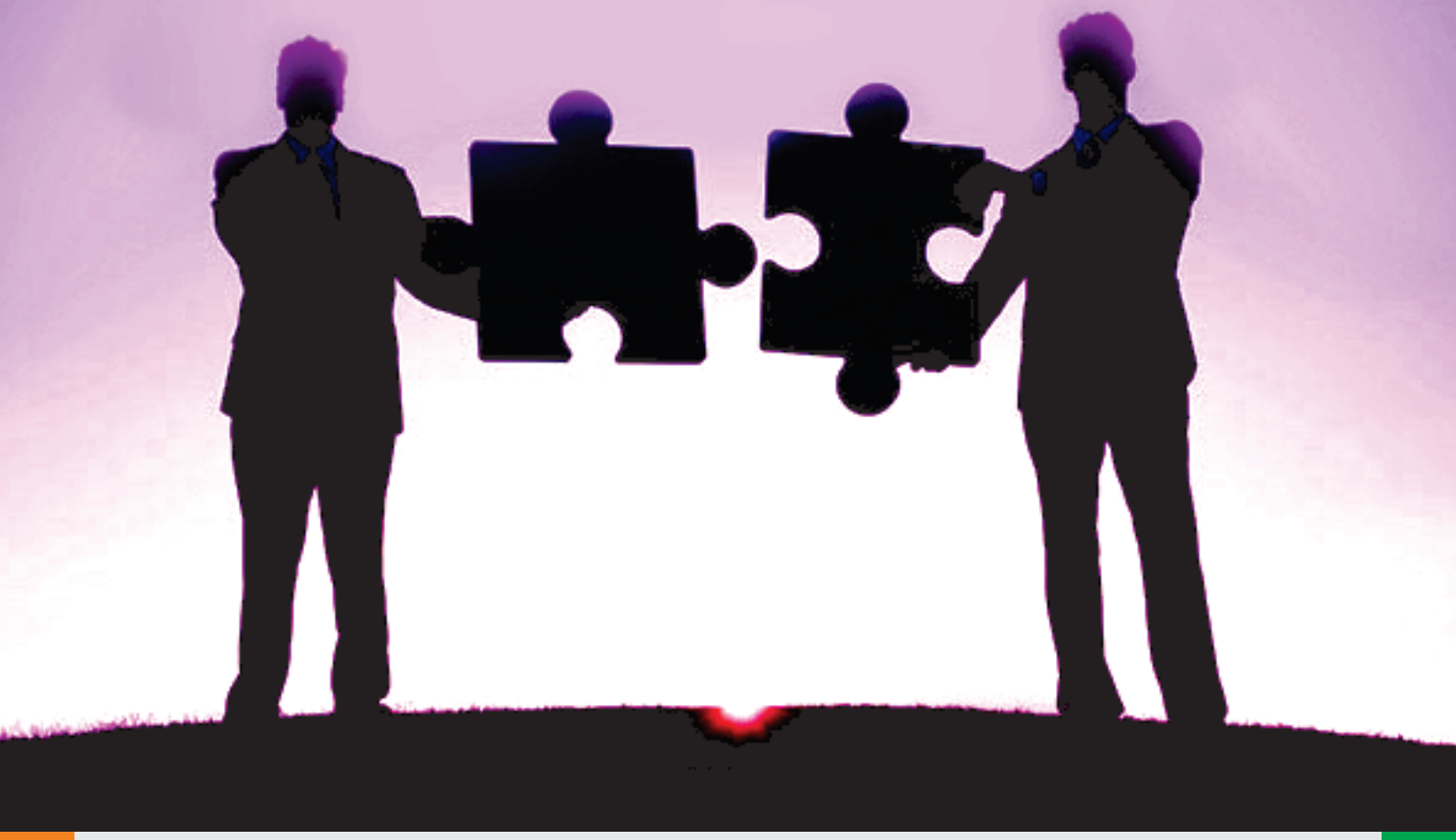

अग्रणी सहभागी संस्थान

ICSI | ICAI | The Institute of Cost Accountants of India | NFCG | Fair Competition for Greater Good | IICA

❖ कंपनियों की श्रेणी

- सार्वजनिक कंपनी
- निजी कंपनी
  - ○ एक व्यक्ति की कंपनी
  - ○ लघु कंपनी
- धारा 8 कंपनी (धर्मार्थ उद्देश्य वाली कंपनियां)

उपर्युक्त कंपनियां को (धारा 3(2)) के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

- अंशों द्वारा लिमिटेड कंपनी (धारा 2(22) में परिभाषा अनुसार): इसके सदस्यों की देयता कंपनी द्वारा जमा किये गये ज्ञापन अनुसार सीमित आपके द्वारा धारित अंशो पर देयता यदि कोई है तो गैर भुगतान राशि तक सीमित।
- गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी (धारा 2(22) में परिभाषा अनुसार) : इसके सदस्यों की ज्ञापन द्वारा उस राशि तक देयता सीमित जो कम्पनी के बंद होने की स्थिति में सदस्य क्रमशः कम्पनी की परिसम्पत्ति में योगदान करेंगे।
- अनलिमिटेड कंपनी (धारा 2(92) में परिभाषा अनुसार) : कंपनी का अपने सदस्यों के देयता की कोई बाध्यता नही है।

पब्लिक लिमिटेड कंपनी :

- न्यूनतम अंशदाता–7
- न्यूनतम निदेशक–3

लघु कंपनियों सहित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

- न्यूनतम अंशदाता–2
- न्यूनतम निदेशक–2

एकल व्यक्ति वाली कंपनी

- अधिकतम एवं न्यूनतम अंशदाता–1
- न्यूनतम निदेशक–1

❖ मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएसन

- मेमोरण्डम ऑफ एसोसिएसन कंपनी का एक चार्टर है। यह एक दस्तावेज है, जो अन्य क्षेत्रों के अलावा उन मामलों को परिभाषित करती है जो कंपनी संचालित कर सकती हैं।
- धारा 2(56) के अनुसार "मेमोरण्डम" से अभिप्राय किसी पूर्व कंपनी कानून या इस अधिनियम के अनुपालन में समय–समय पर परिवर्तित या मूल रूपरेखा के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन का मेमोरेण्डम
- मेमोरेण्डम ऑफ कंपनी अनुसूची 1 में तालिका क, ख, ग, घ एवं ड में विनिर्दिष्ट संबंधित प्रपत्र में होगा। जो कि ऐसी कम्पनियों पर लागू हो सकता है।
- एक लिमिटेड कंपनी का मेमोरेण्डम निम्नलिखित छह धाराओं में व्यक्त होना चाहिए अर्थात
- नाम क्लाज : नाम आरओसी के साथ संरक्षित रूप से नाम में होगा। कंपनी के नाम के अंतिम शब्द में सार्वजनिक कंपनी के मामले में "लिमिटेड" अथवा प्राइवेट कंपनी के मामले में "लिमिटेड कंपनी" होगा।
- पंजीकृत कार्यालय क्लाज (परिस्थिति क्लाज भी कहा जाता है)
- उद्देश्यपूरक क्लाज
- देयता क्लाज
- पूंजी क्लाज
- ग्राहक क्लाज
- नामित क्लाज (केवल ओपीसी के मामले में)

❖ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन

- कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उपनियमों या नियम तथा नियमन वो दस्तावेज है जो कि कारोबार के आंतरिक मामलों के प्रबंधन एवं उसक कार्यान्वयन से संबंधित है। यह दस्तावेज कंपनी के सदस्यों के अधिकारों से भी संबंधित है। यह मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन द्वारा नियंत्रित एवं अधिशासित हैं।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (5) के अनुसार "आर्टिकल" का अर्थ कंपनी के आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन किसी पूर्ववर्ती कंपनी कानून या इस अधिनियम के अनुपालन में लागू या समय–समय पर इसमें परिवर्तन या इसके मूल रूपरेखा से अभिप्राय है।
- कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 (3) के अनुसार आर्टीकल में सम्मिलित प्रावधान निम्नलिखित सर्वाधिक निशिद्ध प्रक्रियाओं का अनुपालन करने में सक्षम है। इसके तुलना में आर्टीकल ऑफ एसोसिएशन के निर्दिष्ट वाक्यांशों के परिवर्तन हेतु एक विशेष प्रस्ताव पास करना कठिन है। एक निजी कंपनी केवल इन प्रावधानों को तभी शामिल कर सकती है जब इसके सभी सदस्य सहमत हों अथवा सार्वजनिक कंपनी के मामले में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए।
- कंपनी आर्टीकल्स अनुसूची 1 में क्रमशः तालिका च, छ, ज, झ एवं ञ में विनिर्दिष्ट संबंधित प्रपत्र में होगा पर जो कि ऐसी कम्पनियों पर लागू हो सकता है।

❖ एमओए एवं एओए पर हस्ताक्षर करना

- कंपनी का मेमोरेण्डम और कंपनी का आर्टीकल्स (निगमीकरण) नियम 2014 की धारा 13 के साथ पठित खण्ड 7 (1) के अनुसार सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- सब्सक्राइबर उपवाक्य (क्लाज) निम्न बिन्दुओं पर विचारण एवं उल्लेख करेगा।
- नाम
- पिता का नाम
- व्यवसाय
- आवासीय पता
- अंश सब्सक्राइब्ड
- एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं
- दिये गये कॉलम में हस्ताक्षर करें
- एक व्यक्ति गवाह होगा तथा निर्दिष्ट विवरण के साथ गवाह कॉलम में हस्ताक्षर करेगा :
  - ○ नाम
  - ○ पता
  - ○ विवरण
  - ○ हस्ताक्षर

निगम कंपनियों के 2 माध्यम हैं

क) विविध चरणों के प्रपत्रों के माध्यम से

ख) समेकित ई–प्रपत्र आईएनसी–29 के माध्यम से

क. विविध चरणों के प्रपत्रों के माध्यम से
❖ सार्वजनिक/निजी कंपनी का निगमीकरण

प्रत्यक्ष पहचान संख्या एवं डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र हेतु आवेदन

निदेशक के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को पहले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है और फिर कंपनीज (निदेशकों की नियुक्त एवं योग्यता) नियमन, 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित धारा 152 के अनुपालन में प्रपत्र डीआईआर–3 में निदेशक पहचान संख्या प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार से आवेदन करें।

आरओसी के साथ नाम का आरक्षण

- निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ आरओसी सहित कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 4(4) के अंतर्गत ई–प्रपत्र आईएनसी–1 भरें।
- नाम अवांछनीय, अर्थात नियम 8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार समान, सदृश्य, प्रतिबंधित अथवा निशिद्ध नहीं होना चाहिए।
- प्रस्तावित नाम, नाम आरक्षण हेतु आवेदन की तिथि से 60 दिनों की अवधि तक आरक्षित रहेगा। (धारा 4(5))

एमओए एवं एओए का आलेखन

- एमओए एवं एओए अनुसूची–I में निर्धारित प्रारूपों के अनुसार आलेखित करना होगा, जैसा लागू हो। दोनों सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। (एमओए–तालिका क, ख, ग, घ, ड़, एओए–तालिका च, छ, ज, झ, ञ)
- प्रथम निदेशकों के नाम एओए में देना अनिवार्य है।
- यह ध्यान देना चाहिए कि इसका मुख्य उद्देश्य ई–प्रपत्र आईएनसी.1 अर्थात नाम अनुमोदन में व्यक्त उद्देश्य के समान होना चाहिए।

प्रपत्रों को भरना

- कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 10,12,14 एवं 15 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 7(1) के अनुपालनार्थ आरओसी के साथ कंपनी के निगमीकरण हेतु ई–प्रपत्र आईएनसी–7 भरें।
- कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 25 एवं 27 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 12(2) एवं 12 (4) के अनुपालनार्थ आरओसी के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के सूचना हेतु ई–प्रपत्र आईएनसी–22 भरें।
- कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 17 के साथ पठित धारा 7(1) (सी) के अनुपालनार्थ आरओसी के साथ निदेशकों की नियुक्ति हेतु ई–प्रपत्र डीआईसी–12 भरें।

रजिस्ट्रार द्वारा निगमीकरण प्रमाणपत्र का निगर्मन

- धारा 7(2) के अंतर्गत जमा किए गये दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार ई–प्रपत्र आईएनसी–11 में निगमीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
- रजिस्ट्रार द्वारा दिए गये निगमीकरण प्रमाणपत्र निर्णायक दस्तावेज होगें जो अधिनियम की सभी आवश्यकताएं के साथ स्वीकार करना होगा।

कारपोरेट पहचान संख्या का आवंटन

रजिस्ट्रार एक विशिष्ट कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) आवंटित करेगा जिसका उल्लेख निगमीकरण प्रमाणपत्र पर होगा।

ई–प्रपत्र आईएनसी–1

- ट्रेडमार्क अथवा ट्रेडमार्ड उपयोग हेतु अधिकार पत्र, यदि कंपनी का नाम ट्रेडमार्क अथवा कार्य के विलेख हेतु आवेदन अथवा पंजीकृत ट्रेडमार्क के आवेदन की एक प्रति पर आधारित है।
- यदि प्रस्तावित नाम ऐसे शब्दों अथवा उच्चारण से युक्त है जिसके लिए केंद्र सरकार के अनुमोदन की जरूरत है, तो केन्द्र सरकार के अनुमोदन की एक प्रति दे।
- संबंधित नियामक से प्रमुख अनुमोदन,जो भी लागू हो।
- पूर्ण स्वामित्व/साझेदारी/अन्य सहयोगियों से एनओसी
- वर्तमान कंपनी से एनओसी
- यदि प्रस्तावित नाम में मुहावरा "एलक्ट्रोरल ट्रस्ट" शामिल है तो एक शपथपत्र दे।

ई–प्रपत्र आईएनसी–7

- मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन की प्रति।
- प्रपत्र आईएनसी–8 में पेशेवरों (सीए/सीएस/सीडब्ल्यूए) द्वारा उद्घोषणा। (कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 14 एवं धारा 7 (4)(ख))
- प्रपत्र आईएनसी–9 में मेमोरेंडम हेतु सब्सक्राइबर से शपथपत्र। (कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 15 के साथ पठित धारा 7 (4)(ग))
- आवासीय पते का साक्ष्य जो दो माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए, तथा सब्सक्राइबर के पहचान का साक्ष्य।
- प्रपत्र आईएनसी–10 में हस्ताक्षर का नमूना। (कंपनीज (निगमीकरण) नियमन, 2014 के नियम 16(1)(क्यू))
- यदि किसी आर्टिकल्स का अतिक्रमण होता है तो अतिक्रमित आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन।
- प्रमोटर्स में बदलाव होने पर एनओसी (मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का प्रथम ग्राहक)
- राष्ट्रीयता का साक्ष्य, यदि सब्सक्राइबर विदेशी नागरिक हो।
- पैन कार्ड (यदि भारतीय नागरिक हो)
- विदेशी संस्था कारपोरेट के निगमीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति तथा पंजीकृत के कार्यालय पता का प्रमाण
- यदि सब्सक्राइबर कारपोरेट संस्था है तो सभी साझेदारों की सहमति/बोर्ड प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति।
- एनबीएफसी गतिविधि, जैसा मामला हो, करने के लिए आरबीआई से मुख्य अनुमोदन प्राप्त करें।

ई–प्रपत्र आईएनसी–22

- पंजीकृत कार्यालय के पते का साक्ष्य (हस्तांतरण पत्र/पटटा विलेख/किराया समझौता आदि के साथ किराया रसीद)
- उपयोगिता बिलों की प्रतियां (दो माह तक पुराने परिसर के पते पर किसी उपयोगिता सेवाओं जैसे टेलीफोन, गैस, बिजली आदि का दस्तावेजी प्रमाण)
- ऐसा साक्ष्य जिसे आपकी कंपनी को पंजीकृत कार्यालय के पते के तौर पर उपयोग की अनुमति देती हो (स्वामित्व अथवा कब्जे के साक्ष्य के साथ परिसर के स्वामी अथवा कब्जाधारक से अधिकार पत्र के साथ स्वीत्व या कब्जाधारक होने का साक्ष्य तथा यह अनिवार्य है यदि पंजीकृत कार्यालय का स्वामीत्व किसी अन्य संस्था/व्यक्ति के पास है (कंपनी द्वारा पट्टे पर नही लिया गया)

ई–प्रपत्र आईएनसी–12

- प्रपत्र आईएनसी–9 में पहले निदेशक द्वारा उद्घोषणा।
- यदि एक से अधिक संस्थाएं प्रवेश करती है तो निदेशक का अन्य संस्थाओं में हित।
- प्रपत्र सं. डीआईआर–2 में नामित निदेशक की उद्घोषणा।
- पहचान एवं पते का साक्ष्य।

ख. समेकित ई-प्रपत्र आईएनसी-29 के माध्यम से

❖ **कंपनी के निगमीकरण की समेकित प्रक्रिया (आईएनसी-29)**

- आईएनसी-20 कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 36 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के खण्ड 4, 7, 12, 152 एवं 153 के अनुपालन में किसी कंपनी के निगमीकरण हेतु एक एकल प्रपत्र है।
- वैकल्पिक प्रक्रियाएं : निगमीकरण आईएनसी-29 के लिए समेकित प्रपत्र के माध्यम से कंपनी के निगमीकरण का एक विकल्प है। केवल ई-प्रपत्र भी उपलब्ध है।
- प्रपत्र-आईएनसी-29 इस एकल प्रपत्र नामत : डीआईएन हेतु आवेदन, अनुमोदन नाम हेतु आवेदन तथा कंपनियों के निगमीकरण हेतु आवेदन के साथ 3 अलग-अलग प्रक्रियाओं के लिए होगा।
- निम्नलिखित ई-प्रपत्र को भरने के प्रक्रिया में परिणामः
  - o प्रपत्र डीआईएन-3 (यदि प्रस्तावित निदेशकों के पास डीआईएन नहीं है के मामले में डीआईएन के आवंटन हेतु आवेदन)
  - o प्रपत्र आईएनसी-1/आईएनसी-2 (नाम के आरक्षण हेतु आवेदन)
  - o प्रपत्र आईएनसी-2/आईएनसी-7 (कंपनी के निगमीकरण हेतु आवेदन)
  - o प्रपत्र डीआईआर-12 (निदेशकों का विवरण)
  - o प्रपत्र आईएनसी-22 (पंजीकृत कार्यालय का विवरण) (निगमीकरण के समय विकल्प)
- शुल्क जमा करना : प्रपत्र हेतु शुल्क रु. 2000/- जमा कंपनी (कार्यालयों का पंजीकरण एवं शुल्क) नियम 2014 के निर्दिष्टानुसार पंजीकरण शुल्क है।
- ई-प्रपत्र आईएनसी-29 का विषय क्षेत्र : निम्नलिखित प्रकार की कंपनियां पंजीकृत हो सकती हैं :
  - ▪ एकल व्यक्ति कंपनी
  - ▪ निजी लिमिटेड कंपनी
  - ▪ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी
  - ▪ प्रस्तावक कंपनी
- 'समेकित प्रपत्र' सुविधा हेतु निगमीकरण खण्ड 8 कंपनियों के प्रयोग उपलब्ध नही है।
- इस ई-प्रपत्र में अनुमोदन हेतु केवल एक नाम आवेदित किया जा सकता है। अतः प्रस्तावित नाम का विविधत जांच करने तथा उसके अनुरूप नाम उपलब्धता दिशा-निर्देश वर्तमान ट्रेडमार्क की जांच कर लें जिससे इसके निरस्त होने से बचा जा सके।
- इस आईएनसी-29 के माध्यम से डीआईएन हेतु आवेदन 3 निदेशक तक मान्य है। निदेशक या सब्सक्राइबर के संबंध में व्यक्तिगत विवरण की आवश्यकता नही है अगर उनके पास पहले से डीआईएन है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की स्कैन प्रति प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र आईएनसी–29 का इस्तेमाल कर त्वरित कंपनी के पंजीकरण हेतु प्रक्रिया

डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करें : प्रपत्र आईएनसी-29 दाखित करने हेतु, निदेशकों में से किसी एक निदेशक का डिजिटल हस्ताक्षर आवश्यक है। अतः कंपनी के प्रस्तावित निदेशकों में से एक निदेशक का डिजिटल हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। श्रेणी 2 डिजिटल हस्ताक्षर प्रपत्र आईएनसी-29 दाखिल करने हेतु आवश्यक है।

प्रपत्र आईएनसी-29 के साथ संलग्न किए जाने वाले निगमीकरण दस्तावेजों की तैयार

- यदि कोई निदेशक साथ में सब्सक्राइबर जो पहले ही डीआईएन प्राप्त कर चुका है,तो उस व्यक्ति का डीआईएन उपयुक्त स्थान पर भर सकते है।
- यदि किसी निदेशक साथ में सब्सक्राइबर के पास पहले से डीआईएन नहीं है,तो डीआईएन आवेदन को प्रपत्र आईएनसी-29 में भरा जा सकता है और इसे निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज के साथ स्वयं जमा किया जा सकता है :
  - (क) व्यक्तिगत विवरण, व्यावसायिक विवरण एवं शैक्षणिक अर्हता
  - (ख) पैन-यदि भारतीय नागरिक है।
  - (ग) पासपोर्ट संख्या - यदि भारतीय नागरिक है।
  - (घ) निदेशक का ई-मेल पता
  - (ड) निदेशक का सूचनात्मक पता
  - (च) पहचान का प्रमाण-मतदान पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आधार कार्ड
  - (छ) पते का प्रमाण - बैंक विवरण/बिद्युत बिल/टेलीफोन बिल/मोबाइल बिल

निदेशकों/सब्सक्राइबर द्वारा हस्ताक्षरित, निम्नलिखित निगमीकरण दस्तावेजों को अवश्य तैयार करें और प्रपत्र आईएनसी-29 के साथ संलग्न करें :

1. मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए)
2. आटिक्ल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए)
3. प्रथम ग्राहक और निदेशकों द्वारा शपथपत्र एवं उद्घोषणा
4. प्रमोटर्स की सूची
5. निदेशकों की सूची
6. प्रमोटरों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने पर निदेशक से अनापत्ति प्रमाण–पत्र
7. प्रपत्र आईएनसी-8
8. प्रपत्र आईएनसी-9
9. प्रपत्र आईएनसी-10
10. प्रपत्र डीआईआर-2
11. पंजीकृत कार्यालय के तौर पर उपयोग हेतु प्रयुक्त सम्पत्ति का पट्टा अथवा अभिप्रमाणन।

आईएनसी-29 भरने के बाद

- ई-प्रपत्र आईएनसी-29 को पुनः जमा करने हेतु अतिरिक्त समय मांगे जाने अथवा त्रुटि की सूचना देने की तिथि से 15 दिन है।
- ई-प्रपत्र पुनः जमा करने के बाद, यदि रजिस्ट्रार फिर अतिरिक्त जानकारी की मांग करता है तो प्रपत्र भरने हेतु यूजर के साथ 15 दिन की उपलब्धता का एक और अवसर।
- तीन अवसरों के बाद, प्रस्तावित कंपनी के ई-प्रपत्र आईएनसी-29 को निरस्त कर दिया जाएगा।

निगमीकरण का प्रमाण-पत्र

संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार निगमीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

अग्रणी सहभागी संस्थान

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

ICAI

NFCG

Fair Competition for Greater Good

IICA

अधिक जानकारी के लिए, लॉग ऑन करे www.mca.gov.in